HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 47/2025

Suresh Devi Wife Of Sawai Singh, Aged About 62 Years, Resident Of Gheeloth, Tehsil Neemrana, District Alwar (Raj.).

----Appellant

Versus

Rakesh Kumar Son Of Shri Meharchand, Resident Of Riwala Gate, Ward No. 03, Near Indane Gas Agency, Jhajjar Tehsil And District Jhajjar, Haryana.

----Respondent

For Appellant(s)	:	Mr. Prakash Kumar Jha, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Alok Chaturvedi, Adv. Ms.Vedika Yadav, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Judgment / Order

18/03/2026

अपीलार्थी–प्रतिवादिया की ओर से यह अपील विद्वान अपर जिला न्यायाधीश संख्या–02, बहरोड़ जिला–अलवर द्वारा दीवानी विविध प्रकरण संख्या 07/2013 में पारित आदेश दिनांक 03.09.2024 से व्यथित होकर प्रस्तुत की है, जिसके माध्यम से परिवादिया का आवेदन अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी. खारिज किया गया।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी–प्रतिवादिया का निवेदन है कि प्रतिवादिया पर सामान्य प्रक्रिया से अथवा डाक से कभी भी सम्मन तामील नहीं हुए, प्रतिस्थापित तामील हेतु आवेदन अन्तर्गत आदेश 5 नियम 20 सी.पी.सी. स्वीकार करते समय विचारण न्यायालय द्वारा कोई संतोष अभिलिखित नहीं किया है, प्रतिस्थापित तामील अपवाद की श्रेणी में आती है, प्रतिस्थापित तामील के माध्यम से सम्मन राजस्थान पत्रिका समाचार पत्र में प्रकाशित करवाये गये हैं, जबकि प्रतिवादिया ग्रामीण परिवेश की अनपढ़ महिला है और उसके द्वारा कभी भी अखबार नहीं पढ़ा गया। सर्वप्रथम दिनांक 11.09.2013 को अधिवक्ता

श्री मुकेश चौहान द्वारा एकपक्षीय निर्णय व डिक्री की जानकारी दी गयी, जिसके उपरान्त दिनांक 27.09.2013 को आवेदन अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी. प्रस्तुत किया, लेकिन विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 11.11.2014 को यह आवेदन खारिज कर दिया गया, जिसके विरूद्ध इस न्यायालय में दीवानी विविध अपील संख्या 3649/2014 प्रस्तुत की गयी जिसमें मामला प्रतिप्रेषित किया गया तथा साक्ष्य लेखबद्ध करने के बाद पुनः प्रतिवादिया का आवेदन अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी. अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.09.2024 के माध्यम से खारिज किया गया। अपीलाधीन आदेश तथ्यों व विधि के विपरीत है, अतः अपास्त होने योग्य है।

इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी–वादी का निवेदन है कि प्रतिवादिया को सामान्य प्रक्रिया से सम्मन भेजे गये, लेने से इंकार किया गया, उसके पश्चात रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भेजे गये। यद्यपि अभिस्वीकृति रसीद प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन 30 दिन में तामील होने की उपधारणा लिया जाना अपेक्षित है, इसके बावजूद प्रतिस्थापित तामील करायी गयी है जो विधि–सम्मत है। प्रतिवादिया जानबूझकर उपस्थित नहीं हुई है, वादी वर्ष 2007 से न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रख रहा है तथा अभी तक उसे विधि–सम्मत पारित डिक्री का उचित फल प्राप्त नहीं हुआ है, अन्त में अपीलाधीन आदेश विधि–सम्मत होना बताते हुए अपील खारिज किये जाने का निवेदन किया।

दोनों पक्षों की बहस के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया।

वर्तमान मामले में प्रतिवादिया का यह तर्क है कि उन्हें सामान्य प्रक्रिया से कभी भी नोटिस तामील नहीं हुए और सामान्य प्रक्रिया से नोटिस तामील हेतु सद्भाविक और उचित प्रयास भी नहीं किये गये हैं तथा आदेश 5 नियम 20 सी.पी.सी. का आवेदन स्वीकार करते समय भी विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग नहीं किया गया है, जबकि विद्वान अधिवक्ता वादी का यह निवेदन है कि प्रतिवादिया को एक बार सामान्य प्रक्रिया से नोटिस भेजे गये तो इंकार कर दिया गया, दूसरी बार रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भेजे गये और अंत में प्रतिस्थापत तामील का आदेश दिया गया।

प्रतिवादी पक्ष की ओर से प्रस्तुत न्यायिक निर्णय M/s Neerja Realtors Pvt Ltd. Vs. Janglu (Dead) Thr. Lr. 2018(1) SCR 359 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह व्यवस्था प्रतिपादित की गयी है कि प्रतिस्थापित तामील सामान्य प्रक्रिया का अपवाद है। सामान्य प्रक्रिया से तामील नहीं होने की स्थिति में ही आदेश 5 नियम 20 सी.पी.सी. के तहत प्रतिस्थापित तामील का आदेश हो सकता है और ऐसा आदेश न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करके पारित किया जाना आवश्यक है।

वर्तमान मामले में सामान्य प्रक्रिया से व रजिस्टर्ड डाक से कथित रूप से भेजे गये नोटिस सम्यक रूप से प्रतिवादिया पर तामील हुए हो, ऐसा कोई निष्कर्ष विचारण न्यायालय का नहीं है। एकपक्षीय कार्यवाही प्रतिस्थापित तामील के बाद की गयी है। यदि पूर्व में ही सम्मन सामान्य प्रक्रिया से तामील हो चुके होते तो उसके आधार पर एकपक्षीय कार्यवाही की जा सकती थी। वादी की ओर से आदेश 5 नियम 20 सी.पी.सी. का आवेदन प्रस्तुत कर यह निवेदन किया कि प्रतिवादिया को प्रकरण की जानकारी है, लेकिन वह नोटिस अपने पर तामील नहीं होने दे रही है, अतः त्वरित न्याय की मंशा को देखते हुए प्रतिस्थापित तामील करायी जावे। यह आवेदन दिनांक 14.03.2012 को वादी की ओर से प्रस्तुत किया गया है और उस समय तक सामान्य प्रक्रिया से तामील हो चुकी हो, यह कहीं भी उल्लेखित नहीं है। प्रतिस्थापित तामील के आवेदन पर विचारण न्यायालय का यह दायित्व था कि यह निष्कर्ष देते हुए कि सामान्य प्रक्रिया से तामील संभव नहीं हो पा रही है, आवेदन स्वीकार किया जाता, लेकिन यह आवेदन विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा यांत्रिक तरीके से स्वीकार किया गया है। प्रतिस्थापित तामील की आवश्यकता क्यों पड़ी, ऐसा कोई कारण आदेश में उल्लेखित नहीं है।

विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादिया का यह तर्क रहा है कि प्रतिवादिया ग्रामीण परिवेश की अनपढ़ महिला है और उसे समाचार पत्र की जानकारी नहीं है, यह बचाव उसकी पृष्ठभूमि को देखते हुए सहज और स्वाभाविक है। विद्वान अधिवक्ता वादी की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त Parimal Vs. Veena @ Bharti (2011) 3 SCC 545 में सामान्य प्रक्रिया से तामील संभव नहीं होने के

कारण से प्रतिस्थापित तामील का आदेश दिया गया था और समाचार पत्र जिसमें नोटिस जारी हुआ, वह प्रतिवादिया के पते पर रजिस्टर्ड डाक से भेजा भी गया था। उपरोक्त मामले प्रतिवादी पक्ष उच्च शिक्षित था और यह माना गया कि प्रतिस्थापित तामील सम्यक रूप से हो चुकी है। वर्तमान मामले के तथ्य उपरोक्त न्यायिक निर्णय के तथ्यों से पूर्णतः भिन्न हैं।

उपरोक्त परिस्थितियों में स्पष्ट है कि प्रतिवादिया पर मूल वाद के सम्मन सामान्य प्रक्रिया से अथवा प्रतिस्थापित प्रक्रिया के माध्यम से कभी भी सम्यक रूप से तामील नहीं हुए हैं, प्रतिस्थापित तामील का आदेश विधि–सम्मत नहीं था, अतः ऐसी स्थिति में प्रतिवादिया के विरूद्ध की गयी एकपक्षीय कार्यवाही और पारित एकपक्षीय निर्णय व डिक्री दिनांक 11.07.2012 अपास्त होने तथा यह अपील स्वीकार होने योग्य है।

परिणामतः अपीलार्थी–प्रतिवादिया की ओर से प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर दीवानी वाद संख्या 73/2011 में पारित एकपक्षीय निर्णय व डिक्री दिनांक 11.07.2012 को अपास्त किया जाता है।

चूंकि मूल वाद वर्ष 2007 का है अर्थात 19 वर्ष पुराना हो चुका है, अतः ऐसी स्थिति में विद्वान विचारण न्यायालय को आदेश दिया जाता है कि मामले में दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर देते हुए व प्रत्येक पेशी पर प्रभावी कार्यवाही करते हुए प्रकरण का विधि–अनुसार यथाशीघ्र निस्तारण करें। पक्षकारान् द्वारा भी विचारण में सहयोग किया जावे।

दोनों पक्षों को विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 16.04.2026 को उपस्थित रहने हेतु निर्देशित तथा पाबन्द किया जाता है, उससे पूर्व कार्यालय द्वारा विचारण न्यायालय का अभिलेख इस आदेश की प्रति के साथ अविलम्ब लौटाया जावे।

(UMA SHANKER VYAS),J

Mittal /24